ग्राम पंचायत दान्दड़ू, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17
भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के **दृष्टिगत** ग्राम पंचायत दान्दड़ू, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति जोगिंदरी देवी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री अशोक कुमार	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री पंजाब सिंह	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दान्दड़ू, विकास खण्ड बिझड़ी के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रo सं॰	पैरा सं॰	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	4.3	बैंक में जमा राशि की रोकड़ बही का रख रखाव न करना	1.91
3	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.15
4	6	अनुदान का उपयोग न करना	31.01
5	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	-
6	10	निर्माण सामग्री के क्रय में अधिक भुगतान	0.18

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत दान्दड़ू, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल,

अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 27.11.17 से 30.11.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	08/2014	03/2015
2015-16	05/2015	08/2015
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दान्दडू, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 563 दिनांक 30.11.17 **द्वारा** अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत **द्वारा** ड्राफ्ट संख्या 000700 (HGB) दिनांक 11.12.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत दान्दडू, **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत दान्दडू, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	115935	80406	196341	31186	165155
2015-16	165155	61462	226617	34210	192407
2016-17	192407	117294	309701	40300	269401

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत दान्दडू, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-**1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1275376	1457664	2733040	989962	1743078
2015-16	1743078	1112441	2855519	1000248	1855271
2016-17	1855271	2650675	4505946	1404956	3100990

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹269401

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹3100990

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹3370391

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹3369813.60

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹577

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, PNB -29130	36345.47
GEN-A, HGB – 10854	232478.24
13th & 14th FC, PNB -201953	1351672.25
13th & 14th FC, HGB – 10836	728431.64
GEN-B, KCCB – 6885	1020886
MNREGA, PNB -36359	0
कुल राशि	**₹3369813.60**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 ₹0.85 लाख वसूली हेतु शेष :-

जांच में पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ-86 में दिनांक 31.03.17 को ₹85400 का चैक लम्बित (Outstanding) दर्शाया गया था जो कि दिनांक 01.04.14 से पूर्व का लम्बित था, लेकिन चैक संख्या व चैक जिससे प्राप्त किया गया था, का विवरण नहीं दिया गया था। अतः उक्त चैक के पूरे विवरण बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 562 दिनांक 29.11.17 **द्वारा** कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 30.11.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त चैक बारे छानबीन करके वस्तुस्थिति से बाद में अवगत करवाया जायेगा। अतः उक्त चैक ₹85400 की शीघ्र उचित स्त्रौत से वसूली करना सुनिश्चित करें।

4.3 बैंक में जमा ₹1.91 लाख की रोकड़ बही का रख रखाव न करना:-

जांच में पाया गया कि पंचायत में निम्नलिखित बैंक खाते (वाटर शेड) खोले गये थे जिनमें दिनांक 31.03.17 को ₹191013 जमा थे एवं इन खातों के रख-रखाब की रोकड़ बही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे इन खातों से किए गए व्ययों की जांच नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 562 दिनांक 29.11.17 **द्वारा** रोकड़ बही प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 30.11.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि इन खातों का रख-रखाव रोकड़ बही में कर लिया जायेगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में प्रत्येक बैंक खातों का रख-रखाव रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करें। खातों का विवरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	**दिनांक 31.03.17 को जमा राशि**
PNB- 2200000100032426	187286/
PNB- 2528000100133870	3727

5 पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेषः-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मोबाइल टावर फीस एवं विवाह पंजीकरण फीस के रूप में वसूली हेतु ₹14900 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹14900 की वसूली शेष थी।

1. मोबाइल टावर फीस :- (BSNL)

वर्ष	अथशेष	किराये की अपेक्षित मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	4000	2500	6500	0	6500
2015-16	6500	2500	9000	0	9000
2016-17	9000	2500	11500	0	11500

2. <u>शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹3400 की कम वसूली **:-**</u>

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹3400 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें। विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	**नाम**	**विवाह की दिनांक**	**पंजीकरण की दिनांक**	**वसूली योग्य पंजीकरण राशि**
38 (2016)	श्री सुशील कुमार	26.10.16	01.11.16	200/-
39	श्री सुनील कुमार	26.10.16	05.11.16	200/-
40	श्री अजय कुमार	03.11.16	03.12.16	200/-
41	श्री अनिल कुमार	08.11.16	16.11.16	200/-

42	श्री विकास	02.11.16	21.11.16	200/-
42(A)	श्री अमित ठाकुर	04.11.16	24.11.16	200/-
43	श्री अजय कुमार	16.11.16	24.11.16	200/-
44	श्री अश्वनी कुमार	07.11.16	24.11.16	200/-
45	श्री राजेश कुमार	08.11.16	24.11.16	200/-
46	श्री मोहन लाल	04.11.16	24.11.16	200/-
47	श्री विकल कौशल	25.11.16	30.11.16	200/-
48	श्री विपन कुमार	25.11.16	15.12.16	200/-
1 (2017)	श्री रोहित कुमार	17.01.17	24.01.17	200/-
2	श्री नरेश कुमार	05.02.17	15.02.17	200/-
3	श्री अरविंद सिंह	28.02.17	15.03.17	200/-
4	श्री विजय कुमार	02.03.17	20.03.17	200/-
5	श्री सुशील कुमार	27.02.17	26.03.17	200/-
		कम वसूली गई राशि		**₹3400**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 562 दिनांक 29.11.17 **द्वारा** कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 30.11.17 **द्वारा** सूचित किया गया कि उक्त ₹3400 की वसूली कर ली जाएगी। अतः वसूली करके पचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

3. भू- राजस्व की वसूली न करना **:-**

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

4. जांच में पाया कि पंचायत में रसीद बुकों का रख-रखाब क्रमानुसार व दिनांकानुसार नहीं किया गया था, जोकि आपतिजनक है । उदाहरण के रूप में रसीद संख्या 216516 दिनांक 25.05.15 को जारी की गई थी, जबकि रसीद संख्या 216517 एवं 216518 दिनांक 18.04.15 को जारी की गई थी। अतः रसीद बुकों का रख-रखाब व जारी नियमों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

6 अनुदान ₹31.01 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹3100990 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 में पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** वर्ष 2014-15 में ₹31186 वर्ष 2015-16 में ₹34210 एवं वर्ष 2016-17 में किए गए व्यय ₹40300 अनियमित थे। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये उक्त व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त नियमित करवाना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.08 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 26 दिनांक 25.08.15 **द्वारा** मैसर्ज अंकुश हार्डवेयर से बिल संख्या 822 दिनांक 22.07.15 में कार्य "रख-रखाब जंज घर धुलेहड़ा" हेतु टंकी की फिटिंग की सामग्री का क्रय `8070/- में निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत **द्वारा** भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। अतः क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज उक्त नियमों के अनुसार भण्डार रजिस्टर में न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

10 निर्माण सामग्री के क्रय में ₹0.18 लाख का अधिक भुगतानः–

चयनित माह 08/2015 में 13 वें वित्त आयोग के व्यय वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत में निम्न-विवरणानुसार एक ही अवधि में निर्माण सामग्री की दरें अलग-अलग निर्धारित की गई थी, जिससे पंचायत को ₹17705 की हानि हुई थी एवं निर्माण सामग्री की दरें निर्धारित करते समय पंचायत **द्वारा** प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया था अर्थात पंचायत प्रतिनिधियों को भी विश्वास में नहीं लिया गया था।

वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	कार्य का नाम
21 दिनांक 24.08.15	Bill No. - Dated - M/s Anil Kumar	400 cft crasher @ ₹35 per cft = ₹14000 450 cft बजरी @ ₹30 per cft = ₹13500 400 cft रेत @ ₹35 per cft = ₹14000 485 cft रौड़े @ ₹28 per cft = ₹13580 395 sft setring @ ₹7 per sft = ₹2765 **Total = ₹57845**	नि. सड़क पदर
25 दिनांक 25.08.15	Bill No. - Dated -, M/s Anil Kumar	105 cft बजरी @ ₹18/-per cft = ₹1890 55 cft रेत @ ₹20/-per cft = ₹1100 80 cft रौड़े @ ₹15/-per cft = ₹1200 **Total = ₹4190**	नि. रख-रखाब जंज घर

अतः यदि उक्त वर्णित वाउचर संख्या 21 में वर्णित सामग्री का क्रय वाउचर संख्या 25 में निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता, तो पंचायत को ₹17705/- (450 cft बजरी @ ₹12 per cft = 5400/-, 400 cft रेत @ ₹15/-per cft = 6000/- एवं 485 cft रौड़े @ ₹13/-per cft = 6305/-) की बचत हो सकती थी। अर्थात उक्त क्रय में पंचायत को ₹17705 की हानि हुई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में पंचायत **द्वारा** प्रस्ताव पारित करके न्यूनतम दरें निर्धारित करना सुनिश्चित करें।

11 मजदूरी के रूप में ₹975 का अधिक भुगतान :-

(i) माह 03/2015 के वाउचर संख्या 59 दिनांक 17.03.15 (सामान्य रोकड़ बही) की जांच में पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 15818 में दिनांक 01.06.14 से 16.06.14 तक निर्माण कार्य " नि. शौचालय GSSS Dandru" में ₹16602 का भुगतान किया गया था। जांच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोल में मजदूरों को ₹177 प्रतिदिन की दर से एवं मिस्त्री को ₹233 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्या No. FIN-(PR)B(7)-33/2010 दिनांक 24.06.14 के अनुसार दैनिक मजदूरों की मजदूरी ₹170/- प्रतिदिन एवं मिस्त्री की मजदूरी ₹212 प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। अतः उक्त मस्ट्रोल में निम्न विवरणानुसार ₹798/- का अधिक भुगतान किया गया था :-

मजदूरों का नाम	भुगतान राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
श्री सुनील चौधरी (DPL)	15X177=2655	15X170=2550	105
श्री जितेन्द्र कुमार (DPL)	16X177=2832	16X170=2720	112
श्री गंगा राम (DPL)	16X177=2832	16X170=2720	112

श्री चाँद किशोर चौधरी (DPL)	16X177=2832	16X170=2720	112
श्री प्रदीप चौधरी (DPL)	15X177=2655	15X170=2550	105
श्री बृजेश चौधरी (मिस्त्री)	12X233=2796	12X212=2544	252
कुल राशि	**16602**	**15804**	**₹798**

(**ii)** उक्त वर्णित मस्ट्रोल संख्या 15818 के क्रम संख्या 2 में श्री जितेंद्र कुमार (DPL) सपुत्र श्री गंगा राम ने दिनांक 01.06.14 से 16.06.14 तक में मजदूरी का काम किया था, जिसमे से दिनांक 08.06.14 को श्री जितेंद्र कुमार अनुपस्थित था। लेकिन भुगतान 15 दिनों के स्थान पर 16 दिनों की एवज में ₹177/- प्रतिदिन की दर से कुल ₹2832/- का कर दिया गया था। अतः एक दिन ₹177/- का अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाए।

अतः उक्त अधिक भुगतान ₹975 की वसूली करने के साथ-साथ चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में किए गये इस प्रकार के अनियमित भुगतानों की भी वसूली करना सुनिश्चित करें।

12 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत **द्वारा** उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत **द्वारा** प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत **द्वारा** इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए।

13 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया गया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्ररूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
6. मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना।
7. रसीद बुकों का रख-रखाव नियमानुसार न रखना।

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

17 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 46/2018 खण्ड–1–2868–2871 दिनांक 26.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत दान्दडू, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881